"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 535] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2017—— अग्रहायण 15, शक 1939

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-3/2009/18. — छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा में सम्मिलित ग्राम पंचायत/ग्राम खरवत, महुआपारा, जमुनीपारा, बनखेता, उपरवारा, सरडी, जूनापारा, स्कूलपारा, तेंदूपारा की सीमा को नगर पालिका परिषद् शिवपुर चरचा की सीमा से पृथक करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-3/2009/18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-3/2009/18, दिनांक 01-12-2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एक्का उप-सचिव.

Naya Raipur, the 1st December 2017

NOTIFICATION

No. F 1-3/2009/18. — In exercise of the powers conferred by Section 5 (A) of Chhattisgarh Municipal Act 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, hereby denotify the limits of Gram Panchayat/Gram Kharvat, Mahuapara, Jamunipara, Bankheta, Uperwara, Sardi, Junapara, Schoolpara, Tendupara from the existing limits of Municipal Council Shivpur Charcha.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.